RAJYA SABHA

Monday, the 24th April, 2000/4 Vaisakha, 1922 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Policy for new Industries

*401. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any short-term and long-term policy to set-up new industries in industrially backward districts of the country;

(b) if so, the details of initiatives taken by Government since 1991; and

(c) the total amount provided by Government for establishment of industries in these backward districts during the Eighth and Ninth Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MININISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) The Industrial Policy of 1991 aims *inter alia* to spread industrialisation to backward areas of the country through institutions, appropriate initiatives and infrastructure investments that would facilitate and "enable" private investment. The initiative for industrial development of backward areas thus lies primarily with State Govts. The Union Govt. supplements their efforts through various schemes and incentives. Whereas fiscal incentives for setting up industrial units constitute the short term policy, efforts for the development for industrial infrastructure to attract industries - being primarily long gestation schemes - characterise the long term policy. The important initiatives taken by the Central Govt. for promotion of industries in backward areas throughout the nation in the areas of **infrastructure development and fiscal incentives** are set out below. For the North East a separate policy package was announced in December, 1997 (set out, thereafter)

Policy Initiatives

Infrastructural Development

(1) The Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries is implementing the **Integrated Infrastructure Development Scheme** (IID). The scheme envisages development of infrastructure facilities for small industries to facilitate location of industries in rural/backward areas.

(2) The following two Schemes though announced before 1991 are ongoing schemes of the Ministry of Commerce and Industry in the Eighth and Ninth Five Year Plans:

(i) **Growth Centre Scheme:** Under this scheme 71 growth centres are proposed to be developed throughout the country which would be provided with basic infrasturcture facilities like power, water, telecommunication, sewage, effluent disposal etc. enabling them to attract industries.

(ii) **Transport Subsidy Scheme:** This Scheme was introduced in July, 1971 to promote industries in hilly, remote and inaccessible areas. Under the scheme, subsidy ranging from 50%–90% is admissible on transport costs incurred on movement of raw materials and finished goods from designated rail heads/ports upto the location of the industrial units.

(3) **Fiscal Incentives:** Ministry of Finance, Department of Revenue has notified 123 Industrially Backward districts classified as Category A and Category B, [vide Notification No. 714(E), dated 7-10-1997] for grant of tax concession under Income Tax Act, 1961,

(i) Industrially backward States and Union Territories in Schedule Eight of the Income Tax Act, 1961 are also entitled to an identical benefit for undertakings set up on or before 31-3-2002 as per Finance Bill, 2000.

(4) **Industrial Policy Package for North East:** Considering its peculiar geographical problems and continued backwardness, a new Industrial Policy and other concessions were announced for the North East region in December, 1997.

(c) The total amount provided and released by the Central Government under the Growth Centre Scheme, and the Transport Subsidy Scheme during the 8th and 9th Plan is :—

(Rupees rounded in crore)

	(As on 31-3-2000)			
	8th Plan		9th Plan	
	Outlay	Release	Outlay	Release
Growth Centre Scheme	148	177*	70	70
Transport Subsidy Scheme	158	196*	218	235*

*Higher releases effected by reappropriation.

SHRI ONWARD L. NONGTDU: Mr. Chairman, Sir, is the Government aware of the fact that due to lack of basic infrastructure in the backward States, the private entrepreneurs do not come forward in those areas? I would like to know whether the Government is proposing to set up more industries in the public sector in those regions, at least, till the minimum infrastructure is available in those areas.

DR. RAMAN: Sir, our short-term and long-term policy is to set up new industries in the backward areas. We are promoting them. The short-term policy is for setting up new industries and the long-term policy is to develop the industrial infrastructure to attract the industries. We are doing that. For infrastructural development, we are giving the Integrated Infrastructure Development Scheme, IID, Growth Centre Scheme and Transport Subsidy Scheme and we are giving so many fiscal incentives. Under the Income-tax Act, 1961, the Ministry of Finance has notified 123 industrial backward districts. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कर की छूट देकर उन क्षेत्रों में ज्यादा-से-ज्यादा इंडस्ट्रीज आएं, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोग आएं और उस क्षेत्र में इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए स्कीम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो आई.आई.डी. स्कीम है, जिस का प्रमोशन वहां के 'सिडबी' के द्वारा होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर देती है और बाकी 'सिडबी' के द्वारा फाइनेंस होता है। चैयरमेन सर, इन अलग-अलग स्कीमों में जो प्रस्ताव हमारे पास आएं हैं, उन पर विचार हुआ है, ग्रोथ सेंटर्स जो विकसित हुए हैं और आई.आई.डी. की जो इंडस्ट्रियल डेवलमपेंट की स्कीम्स डेवलप हुई हैं, उस सभी स्कीम्स में हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों को छूट का लाभ मिलें, उस क्षेत्र में ज्यादा-से-ज्यादा इंडस्ट्री आएं और प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज का जाल बिछे, इस के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाएं यहां

पर आती हैं।

SHRI ONWARD L. NONGTDU: Mr. Chairman, Sir, in fact, I want to know from the Minister whether he is aware of the fact that in a region like the North-Eastern part of India. The basic infrastructure like power and road communication is not available. I would like to bring to the notice of the Minister that this area is an insurgency-prone area. I am aware of the fact that incentives are being given by the Government of India. But what I want to know is, whether the Government of India itself is proposing to set up industiries in the public sector in that region for the benefit of those people so that employment can be generated and the people of that region can enjoy the economic benefits.

DR. RAMAN: Sir, with regard to the Industrial Policy Package for North-East, for the Centrally-assisted Growth Centres, we are giving Rs. 15 crores. Secondly, with regard to the Transport Subsidy Scheme, the Scheme has been extended up to 31-3-2007. The third is the Capital Investment Subsidy Scheme which was notified on 1-6-98, for 50 per cent investment on plant and machinery of maximum Rs. 30 lakhs. Fourthly, we are giving the Central subsidy. A comprehensive scheme was notified on 14-7-94 and the growth centres, that is, the IIDs in the North-Eastern region, are tax-free zones. We are giving these facilities in the North-Eastern region to further improve the industries. But it is not possible. सरकार की तरफ से वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव नहीं है। हम केवल छूट देते हैं और छूट देने के साथ-साथ जो उद्योगपति वहां आना चाहते हैं उनके लिए ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से, आई.आई.डी. के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से उनको इन्करेज करते हैं, सरकार की तरफ से कोई उद्योग लगाने का वहां पर प्रस्ताव नहीं है। स्कीम्स, योजनाएं जो नार्थ-ईस्ट से आती हैं, वहां की सरकार के द्वारा और वहां के ग्रोथ सेंटर्स के द्वारा जो स्कीम्स आती हैं, उनको हम यहां पर फाइनेंस करते हैं, फंडिंग करते हैं और उनमें हमारा रेश्यों रहता है। नार्थ-ईस्ट में पहले रेश्यों 2:3 का था, अब हमने 4:1 कर दिया है, 4 करोड़ यहां से लगेगा और 1 करोड़ उनकी तरफ से लगेगा। आई.आई.डी. में हम प्लस 15 करोड़ नार्थ-ईस्ट के लिए, ग्रोथ सेंटर्स के लिए दे रहे हैं, जो पहले से काफी ज्यादा है। सरकार की तरफ से कोई उद्योग लगाने का वहां पर प्रस्ताव नहीं है।

श्री टी. एन. चतुर्वेदी : सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय से पहले यह जानना चाहूंगा कि क्या ये जो भिन्न-भिन्न स्कीमें लागू की गई हैं, इनमें बहुत सी स्कीमें 1991 से पहले की भी हैं और अभी भी लागू हैं, क्या इनकी प्रगति का

कोई लेखा-जोखा, मूल्यांकन, इवेल्यूएशन किया गया है हर राज्य के स्तर पर ?

मेरे प्रश्न का 'ख' भाग यह है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए जो एक इंटीग्रेटिड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई है, उसका विवरण क्या है, क्या-क्या चीजें उसमें सम्मिलित की गई हैं, क्या मंत्री महोदय विस्तार से बताएंगे ? इसके साथ-साथ क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि किस प्रकार का विभिन्न स्तरों पर उनका विकास हो रहा है, इस संबंध में राज्य मंत्रियों से कोई बातचीत हुई है, क्या उनका सम्मेलन बुलया गया है और आगे क्या प्रगति करनी है, इसके विषय में सरकार ने कोई विचार किया है, विशेषत: इस कारण कि राज्य सरकार को ही मुख्यत: इसमें कार्य करना है, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है, तो इस दृष्टि से उन्होंने इस संबंध में क्या किया है ? और अपने प्रश्न के 'ग' भाग के रूप में मैं जानना चाहता हूं कि नार्थ-ईष्ट का जो इंडस्ट्रियल पैकेज है, क्या इसकी पोटेंशियल दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से कि वहां के लोगों को रोज़गार देने की क्या संभावनाएं हैं, इस दृष्टि से क्या उसकी कांटिन्यू मॉनिटरिंग या इवेल्यूएशन मंत्रालय कर रहा है राज्य सरकारों के सहयोग से ?

डा.रमण: सर, माननीय सदस्य ने बहुत व्यापक प्रश्न किया है, मैं इस संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि 712 करोड़ रुपया आज तक ग्रोथ सेंटर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए और आई.आई.डी. स्कीम के लिए हमने अभी तक दिया है। हम राज्य सरकारों से सीधी बात करके, वहां के मुख्य मंत्री से चर्चा करके और वहां ग्रोथ सेंटर्स की क्या स्कीम हो सकती हैं, उनसे इस बारे में चर्चा हो रही है ताकि वहां की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी आए। बहुत सारी योजनाएं हैं, सर, मैं इयरवाइज ऐलोकेशन बता सकता हूं 1994, 95, 96 से। यह स्टेटवाइज़ ऐलोकेशन है, सर .....,

SHRI T.N. CHATURVEDI: I want to know about the components of the Integrated Infrastructure Development Scheme. I am not asking how many schemes have been given for each year.

डा. रमण: इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में ग्रोथ सेंटर को हम 15 करोड़ रुपए नार्थ-ईस्ट में देते हैं और वह 10 करोड़ रुपया वहां से अपना लगाते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। पहले प्लॉट आदि वहां की गवर्नमेंट से लेकर बिजली, टेलिकम्युनिकेशन आदि अन्य दूसरी सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की जाती है और यह करीब 4080 हैक्टेयर के पलॉट होते हैं और उस प्लॉट को डेवलप किया जाता है, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है ताकि वहां पर योजनाएं बनें और ऐसी योजनाएं बनें जिससे छोटे-छोटे उद्योग वहां पर लग पाएं। आई.आई.डी. की अलग योजनाएं हैं और ग्रोथ सेंटर्स की अलग योजनाएं हैं, फंड का ऐलोकेशन अलग है। आई.आई.डी. में 2:3 का रेश्यो रहता है। नार्थ-ईस्ट में हम 4 करोड़ देते हैं और 1 करोड़ उनसे

लिया जाता है। ग्रोथ सेंटर में 15 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार देती है और 10 करोड़ रुपया वहां के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट लगाते है। तो इन्फ्रास्ट्राक्चर डेवलपमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर हम यह पैसा उनको मुहैया कराते हैं प्लस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए पोर्ट से लेकर या रेलवे स्टेशन तक के लिए, जहां तक उनके कारखाने हैं, वहां से आने-जाने के लिए 90 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है ताकि वहां के उद्योग जीवित रहें और उनका विस्तार हो सके। माननीय सदस्य ने नार्थ-ईस्ट के बारे में चिंता जाहिर की है, वहां पर आज जो ग्रोथ सेंटर हैं, उनमें इयरवाइज़ हमने जो फंड ऐलोकेट किया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने जो ऐलोकेट किया है, मैं स्टेटवाइज़ उनको इस बारे में बता सकता हूं। वहां बहुत सारी विसंगतियां हैं, कहीं पर ज़मीन का कब्जा नहीं मिला है, मगर वहां के, नार्थ-ईस्ट के, जो ग्रोथ सेंटर हैं, उनके फंड का ऐलोकेशन मैं बता सकता हूं। असम में 2 ग्रोथ सेंटर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक ग्रोथ सेंटर काम कर रहा है। मणिपुर में एक ग्रोथ सेंटर काम कर रहा है। मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी ग्रोथ सेंटर्स काम कर रहे हैं। इनमें से असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ग्रोथ सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ग्रोथ सेंटर्स में लैंड एक्वायर करने संबंधी और अन्य प्रक्रियाएं जारी हैं।

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is aware of the fact that some advance States like Maharashtra have got areas of ex-State of Hyderabad which are, in fact, very backward areas. While locating these 71 Growth Centres, has this fact also been taken into account? So many small and medium industries are, in fact, located there. Is there any proposal to see that they do not close down, in view of the recent policies which have been announced by the Government?

The second part of my question is this. Is the Government aware of the fact that the MNCs are bound to come in a big way due to the liberalisation that has been announced, and that not only the small-scale industries, but the major industries are also going to be in a difficult position? Is the scheme of giving incentives upto 2000 going to be continued thereafter also? Are there any protective measures under the contemplation of the Government to give employment to all the unemployed people?

डा. रमण: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता ज़ाहिर की है, वह गवर्नमेंट की शॉर्ट-टर्म और लॉंग-टर्म पालिसी में और संबंधित नीतियों में परिवर्तन के बारे में है। माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, वे सुझाव इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खास तौर से आने वाले समय में उद्योग संबंधी नीतियों का निर्धारण करते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री एस. बी. चव्हाण : सभापति महोदय, मेरे सवाल का जो पहला भाग है, जो बैकवर्ड एरिया है महाराष्ट्र राज्य का, उसके बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया है।

डा. रमण : सभापति महोदय, जो बैकवर्ड एरियाज हमने आईडेंटिफाई किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमने 123 बैकवर्ड एरियाज आईडेंटिफाई किए हैं और इनमें से 71 एरियाज में हम ग्रोथ सेंटर्स चला रहे हैं। चूंकि यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत थी, इसलिए यह ग्रोथ सेंटर्स की स्कीम अब बंद कर दी गई है। अन्य योजनाओं में इसको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

SHRI PREM CHAND GUPTA :— Mr. Chairman, Sir, the industrial scenario has completely changed during the last few years. It is not the same as it used to be a few years ago. I would like to put a specific question to the hon. Minister that in view of the changed scenario, whether any new thought has been given to the criteria for selection of the industrially backward districts. Or, has the Government no intention to change the criteria? This is my first question.

The second part of my question is this. There are certain States which are industrially very advanced, and there are certain States which are industrially very backward. Are you planning to formulate a new policy under which the extremely industrially backward States would be given some sort of special incentives like income-tax benefits which were announced in the Budget a few years ago? I am sorry to say that Bihar is a very backward State, as far as industries are concerned. The raw material is there. But this State has not been declared as a State like Himachal Pradesh and certain other States to be entitled to income-tax benefits. I would like to seek the Government's clarification on this.

डा. रमण : सर, ग्रोथ सेंटर इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया के बारे में, In 1988, the Planning Commission formulated the criteria or guidelines regarding allocations to be made to the States, etc. The Commission recommended allocations to growth centres of various States and UTs, on the basis of the combined criteria of population, area and index of industrial backwardness. Selection of sites within the States is done on the basis of fulfilling the criteria and on the basis of the recommendations of the National Committee on Development of Backward Areas and the National Committee on Urbanisation. उस समय जो क्राइटेरिया तय किया गया था उस क्राइटेरिया में 123 केन्द्र आ रहे हैं। उसमें सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि इस एरिया के विकास के लिए कुछ नए क्षेत्र शामिल किए जाएं।

आज की तारीख में विकास की जो गति है उन क्षेत्रों में जो इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उन एरिया को अभी कवर नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में इन एरियाज को भी सम्मिलित किया जाएगा। अन्य दूसरी योजनाएं भी उसमें सम्मिलित हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : मेरा ख्याल है कि शायद माननीय मंत्री जी मेरा सवाल समझ नहीं पाए हैं। मैंने यह कहा था कि इण्डस्ट्री के कंसेप्ट में आज में और पहले के पांच साल में बड़ा फर्क आ गया है। पहले क्या होता था कि स्टील की प्रोडक्शन एक जगह होती थी,स्टील का रॉ मेटीरियल सिर्फ बिहार में या मध्य प्रदेश में होता था और उसकी यूनिट पंजाब में लगती थी। तो उसमें चेयरमेन सर, कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया वहां पर कुछ कैश इंसेंटिव दिया, कुछ अन्य फेसिलिटी दी और वहां इण्डस्ट्री लग जाती थी। अब जो है वह ग्लोबल इकॉनोमी हो गई है। हर इण्डस्ट्री में बड़ा कम्पीटीशन हो गया है। अब रॉ मेटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, फिर उसके प्रोडक्शन को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना It is no more feasible now. So, in view of this changed scenario, are you thinking of giving a new look at the criteria which are being used for selecting a particular district, whether it is covered under the scheme or not? That is my question.

डा. रमण : सम्मानित सदस्य इस विषय पर प्रश्न कर रहे हैं कि जो एरिया पहले आइडेंटिफाई हो गए हैं उस एरिया के साथ-साथ नए एरिया इसमें सम्मिलित किए जाएं या जो पहले आइडेंटिफाईड थे या अब जो नए उद्योग आए हैं उसके तहत नए क्षेत्र, जहां पर ज्यादा उसकी आवश्यकता है, इसमें सम्मिलित किये जाएं। मैं इसमें माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं उद्योग के क्षेत्र से और जिसमें उद्योग की आवश्यकता है और वहां उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, ऐसा माननीय सदस्य चाहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अन्य योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। यह जो 123 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए बाकी हिन्दुस्तान के जो अन्य क्षेत्र हैं उस तरह से वहां पर अन्य योजनाओं का लाभ इण्डस्ट्री के क्षेत्र में मिलेगा, नई योजनाओं का लाभ भी उनको मिलेगा।

MR. CHAIRMAN : Shri Chitharanjan.

SHRI J. CHITHARANJAN : Hon, Chairman, Sir, from the reply it is found that the financial targets have been achieved, or, over--fulfilled. But, at the same time I would like to know whether they have examined or whether they have to find out as to whether the physical targets have been achieved and (b) whether you have made any assessment about the results, whether efforts so far made in this direction have in any way helped in developing industries in the backward areas?

डा. रमण : उद्योग के विकास के लिए इन योजनाओं की मदद जिस रफ्तार से करने, और भी योजनाओं को प्रारम्भ करने और उसके बाद कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन करने में काफी लम्बा समय लगता है और खास तौर से नॉर्थ-ईस्ट रीजन में हमें उन योजनाओं को लागू करने में, वहां पर जमीन एक्वायर करने में और वहां पर फिर काम शुरू करने में काफी लम्बा समय लगता है, 7 से 8 साल तक उसमें लग जाते हैं और तत्काल उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन इन योजनाओं का लाभ इस नॉर्थ-ईस्ट या बाकी जो हिल्स एरियाज हैं, जिनको लाभ दे रहे हैं, लम्बे समय में मिलेगा। अभी भी योजना में हमने काम शुरू किया है। 14 ऐसे केन्द्र हैं जहां पर काम शुरू हो गया है, 16 ऐसे हैं जहां पर लोगों को रोजगार मिलना प्रारम्भ हो गया है और बाकी योजनाएं विचाराधीन हैं। इन योजनाओं का लाभ काफी लम्बे समय में मिलता है, क्योंकि राज्य सरकार से आने के बाद और फंड एलौटमेंट के बाद इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। अब आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा।

DR. L.M. SINGHVI : Mr. Chairman, Sir, it is quite clear that the 1991 policy has failed to achieve the objectives for which it was framed. It has become clear that the delays and the cost overrun have, in fact, put the entire scheme on the back burner. The statement which the Minister has made today is itself a confession of the failure of that scheme. Yet, we do not hear the Minister saying that this policy will be reviewed, that the disparities which have increased and the backwardness which has become greater by comparison, will be tackled in a more effective and dynamic way Backward districts and backward areas are becoming more backward and the advanced States are becoming more industrialized. This question has to be addressed. The policy has to be looked at again and reviewed in a more dynamic and equitable perspective. We would like to know from the Hon. Minister whether the Government is ready to review this policy which has lost its relevance and which has become outdated.

डा. रमण : सर, जो पालिसी नार्थ -ईस्ट और बाकी राज्यों के लिए आठवीं योजना के समय में स्वीकार की गई थी उस योजना के अनुसार जो ग्रोथ सेन्टर्स हमको पूरे करने थे वह पूरे हो गए हैं। अब माननीय सदस्य ने 1991 की जो पालिसी है उस पर नये सिरे से विचार करने का सुझाव दिया है। माननीय सदस्य के जो सुझाव आयेंगे हम उन पर विचार करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न करना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किए। यह जो उद्योग नीति 1991 में बनी थी उसके बाद से सचमुच में दृश्य काफी बदल गया है और अनेक वस्तुएं विदेशों से लाई जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमारी यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी आगे भी कारगर होगी या सरकार कोई और नीति बनाने की बात सोच रही है ?

डा. रमण : सर, 1991 की जो पालिसी है उसके संबंध में सम्माननीय सदस्या ने जानना चाहा है। मैं पूरे सम्मान के साथ यह बताना चाहूंगा कि जो पालिसी अभी चल रही है उसी पालिसी के अनुसार हमने 1991 के बाद से कदम उठाये हैं। इसका लाभ हिन्दुस्तान के दोनों क्षेत्रों, 123 क्षेत्र जो आईडेंटीफाई रीजन हैं उनको और अन्य क्षेत्रों को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें और भी सुझाव सम्माननीय सदस्या देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय : देशी उद्योगों के लिए अब जो सीन है, उसको अब बहुत खतरा है। उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ?

डा. रमण : आपके जो सुझाव आयेंगे, उन पर विचार किया जायेगा।

*402. [The Questioner (Shri Shibu Soren) was absent. For answer vide Page 23 infra.]

Import Restrictions on Food and Allied Products

***403. DR. C. NARAYANA REDDY:** Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Government propose to lift import restrictions on food produce and allied products, including milk and milk products;

(b) Whether it is also a fact that the measure would adversely affect millions of Indian farmers; and

(c) If so, what remedial steps Government propose to take in the interest of agricultural and dairy community?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI OMAR ABDULLAH) : (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Import restrictions on various items including food produce and allied products and milk and milk products are being removed as part of the import liberalisation programme of the government and also in terms of our international obligations.

However, all imports in the country are subject to applicable rates of customs duties and are also subject to domestic laws, rules, orders, regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. This should provide adequate protection to domestic farmers.